

मु. नं. = 07/16

12.10.20

वक्तो द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली मत आज्ञानुसार दिनांक 17.11.20 को पेश हो

*[Signature]*

18.11.2020

दिनांक 17.11.20 को शजकीग अवकाश शोफिट दान से वक्तो द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य पत्रावली आज पेश उरें स्थगित रखे जाने से पत्रावली मत आज्ञानुसार दिनांक 23.12.2020 को पेश हो

*[Signature]*

23.12.20 पत्रावली पेश हुई। मुख्य फ्रीकेज उपस्थित। अन्तर्दिम पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मन्म किया गया। बड़ी द्वारा वाद विभाजन एवं स्थाई निवेधाना का पेश किया गया है। इस न्यायालय द्वारा अन्तर्दिम अस्थाई निवेधाना को पेश करने के चार साल हो चुके हैं। उभयपक्षों में आपसी झगडा नहीं है। इसलिए वाद की प्रकृति को देखते हुए दोनों पक्षों को पाबन्द करान्यायहित में उचित होगा। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तर्दिम अस्थाई निवेधाना आदेश दिनांक 04.02.2016 को ~~सम्बन्ध~~ कर्म की जाती है। अतः उभयपक्षों को तफेसला मूल वाद जरिये कन्फर्म निवेधाना द्वारा इस कदम पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फेसल हो कर दर्ज नम्बर से कम हों तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे। पुनः - उक्त कन्फर्म निवेधाना में खसरा नम्बर 6237, 6233 कुल ~~खसरा~~ क्तिता 2 का कुल रकबा 0.35 है। देखिये भूमि वाले ग्राम खेजरोली (रे) तहसील चोंभुं जिला जयपुर पर प्रभावी रहेगी।

तहसील (क) (जयपुर)

